# आचार संहिता

**प्रारंभिक संदेश**

यह आचार संहिता उन आदर्शों और दिशा-निदेशों के समूह को प्रस्तुत करती है जो IOCHPE-MAXION की दूरदर्शिता, लक्ष्य, और मूल्यों से प्रेरित होते हुए वैश्विक बाज़ार में हमारी गतिविधियों के प्रदर्शन में संचालन व आचारनीति के मापदंडों के संबंध में हमारी संस्था की अपेक्षाओं को दर्शाता है।

हमारे कर्मचारियों, निदेशकों, अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से IOCHPE-MAXION से संबंधित सभी गतिविधियों में नैतिक रूप से, ईमानदारी से और पारदर्शी रह कर कार्य करने की हमारी वचनबद्धता हमारी कंपनी के स्थापित होने से लेकर हमारी कारोबार की कार्यनीति और हमारे कारोबार के विकास का मूल तत्त्व रही है। यही वैश्विक बाज़ार में हमारे द्वारा संचालन करने का ढंग भी है और यह मोटर गाड़ी के पहियों के उत्पादन में हमारे वैश्विक नेतृत्व के सशक्तिकरण, और साथ ही हमें अमरीका में मोटर गाड़ी के संरचनात्मक पुरज़ों के उत्पादकों के रूप में एक महत्त्वपूर्ण स्थान पर बने रहने के योग्य बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है।

IOCHPE-MAXION के लिए, अनुपालन का अर्थ है इस आचार संहिता और हमारे आन्तरिक नियमों के अतिरिक्त उन कानूनों व अधिनियमों को जानना, समझना और लागू करना जो विश्व स्तर पर हमारे कारोबार का संचालन करते हैं और जो हमारी संस्था की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने और कंपनी की सम्पत्ति को सुरक्षित रखने, और साथ ही हमारे कर्मचारियों, निदेशकों, अधिकारियों, शेयरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं, सरकारों और सामान्य रूप में समाज के साथ अच्छे व उचित संबंध सुनिश्चत करने के लिए बनाये गए थे।

परिणामस्वरूप, हम यह स्वीकार और बर्दाश्त नहीं करते कि यहाँ पर बतायी गई नैतिक वचनबद्धता और संचालन के मापदंडों के साथ समझौता हो।

हम इस आचार संहिता में बताये गए आदर्शों और दिशा-निदेशों को अच्छी तरह से पढ़ने, समझने व इन पर दृढ़ रहने की आवश्यकता को बढ़ावा देते हैं और इस पर दबाव डालते हैं, और यह संहिता हर जगह और हर समय हमारी संस्था के सभी सदस्यों के लिए लागू रहती है। हालांकि इस संहिता को स्पष्ट व विस्तृत बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसमें उस प्रत्येक प्रश्न व दुविधा का उत्तर नहीं होगा जिसका हम सभी सामना कर सकते हैं। इसलिए, हम यह सलाह देते हैं कि आप इसे नियमत रूप से देखें और कोई भी प्रश्न होने पर हमसे सलाह लें या जब भी आपको महसूस हो कि सलाह लेने की ज़रूरत है।

इस आचार संहिता में बतायी गई अपेक्षाओं को सुरक्षित रखने और उनका सम्मान करने की आपकी व्यक्तिगत वचनबद्धता हमारी संस्था की अविच्छेदता, विकास और सफलता और हमारे भविष्य के लिए अत्यावश्यक है।

हमारे साथ जुड़ें और इस महत्वपूर्ण कार्य का नेतृत्व करें!

भवदीय,

Marcos Sergio de Oliveira

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, IOCHPE-MAXION S.A.

| IOCHPE-MAXION | **आचार संहिता** |
|---|---|
| | जारी करने की तिथि: 26 सितंबर, 2018 |
| | प्रभाव में आने की तिथि: 26 सितंबर, 2018 |
| | समीक्षा का स्तर: वास्तविक |

**1. प्रयोजन**

1.1. यह आचार संहिता ("संहिता") बिना किसी अपवाद के IOCHPE-MAXION S.A., इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त व्यापारों (जिसे यहाँ आगे चलकर सामूहिक रूप में "IOCHPE-MAXION" या "कंपनी" कहा गया है) के सभी कर्मचारियों व प्रबंधन टीम के सदस्यों को पद या किए गए कार्य पर ध्यान दिए बिना निशाना बनाती है और उन पर लागू होती है, और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को इस संहिता की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए और उन्हें इस में बताये गए आदर्शों व दिशा-निदेशों की समझ व सम्मति की पुष्टि करनी चाहिए।

1.2. यह संहिता IOCHPE-MAXION के सेवा प्रदाताओं व आपूर्तिकर्ताओं ("आपूर्तिकर्ताओं") को भी निशाना बनाती है, जिनको इस संहिता की जानकारी होनी चाहिए और उन्हें उन के अनुकूल सीमा तक इसमें बताये गए आदर्शों व दिशा-निदेशों का अनुपालन करने के लिए हर प्रयास करना चाहिए।

**2. साधारण आदर्श, लक्ष्य, दूरदर्शिता व मूल्य**

2.1. IOCHPE-MAXION इस पर लागू होने वाले कानूनों और अधिनियमों का सम्मान करती है और इसके कारोबार की स्थिरता को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ इसकी गतिविधियों के संचालन में और इसके सभी शेयरधारकों के साथ नैतिक, ज़िम्मेदार, ईमानदार, अग्रसक्रिय व पारदर्शी ढंग से कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

2.2. कंपनी द्वारा दिखायी गई इसी वचनबद्धता की अपेक्षा इसके कर्मचारियों, निदेशकों, अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं से भी की जाती है। IOCHPE-MAXION लागू कानूनों और अधिनियमों, इस संहिता या इसके आन्तरिक नियमों के साथ दुर्व्यवहार या किसी प्रकार के उल्लंघन को बर्दाशत नहीं करती।

2.3. IOCHPE-MAXION की दूरदर्शिता, लक्ष्य और मूल्य, जो नीचे दिए गए हैं, इस संहिता में बताये गए आदर्शों व अधिनियमों के बिल्कुल अनुकूल हैं और समूची संस्था में प्रसारित किए जाने चाहिए:

- **दूरदर्शिता**: *वैश्विक लीडर बनना, नवाचार के ज़रिए चिरस्थायी ढंग से विकास करना, और हमारे लोगों को हमारे साथ मिलकर मोटर गाड़ियों की दुनिया को विकसित करने में भाग लेने के लिए प्रेरित करना।*

- **लक्ष्य:** *निरंतर नवाचार, कार्यविधि सुधार और उत्कृष्ट कर्मचारियों के ज़रिए हमारे ग्राहकों के उत्पादों की प्रतियोगितात्मकता को विश्व स्तर पर सुधारते हुए लाभकर ढंग से पुरज़े और मोटर गाड़ी के सिस्टम प्रदान करना।*

- **मूल्य:**

  – *नैतिक रूप से व्यवहार करना और सामाज व वातावरण की दृष्टि से ज़िम्मेदार बनना।*

- *हमारे कर्मचारियों का विकास करना, उन पर विश्वास करना, उन्हें सशक्त करना और उनका सम्मान करना।*
- *वचनबद्धता, स्वामित्व की मानसिकता, निरन्तर सुधार और सहयोग के ज़रिए परिणाम तैयार करना।*
- *हमारे संसाधनों का कार्यकुशलता से इस्तेमाल करना और उच्च-स्तरीय ग्राहक संतुष्टि हासिल करना।*
- *नवाचार को प्रोत्साहित करना और हमारे सभी कर्मचारियों की रचनात्मकता को उन्मुक्त करना।*

**3. सामाजिक और वातावरणीय ज़िम्मेदारी**

3.1. IOCHPE-MAXION उत्पादकता के साथ अपने कार्यों को पूरा करते हुए, उत्कृष्ट उत्पादों की आपूर्ति करते हुए और बेहतरीन सेवाएँ प्रदान करते हुए, लागू कानूनों और अधिनियमों का अनुपालन करते हुए, संसाधनों का अपव्यय न करते हुए और अपने कार्य-क्षेत्र के समुदायों के पर्यावरण, सांस्कृतिक मूल्यों, मानव अधिकारों और सामाजिक संस्था का सम्मान करते हुए है अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारियों की पूर्ति करती है।

3.2. संभव होने पर और समय के साथ कंपनी की कार्य-विधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने और इसे न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए और साथ ही स्थिरता के प्रति इस वचनबद्धता को इसके कर्मचारियों, निदेशकों, अधिकारियों, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों और साथ ही व्यापक स्तर पर समुदाय में प्रसारित करने के लिए स्वास्थ्य की रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंपनी की गतिविधियों का ज़िम्मेदार रूप से संचालन किया जाता है।

3.3. IOCHPE-MAXION अपने कार्य-क्षेत्र के समुदायों के सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास भी करती है और नागरिकता के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले सामुदायिक कार्यों और गतिविधियों में अपने कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों की स्वैच्छिक सहभागिता को बढ़ावा देती है और इसकी कदर करती है।

3.4. अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, IOCHPE-MAXION की तरफ से निम्नलिखित मापदंड पूरे होने पर सामाजिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय क्षेत्रों के लिए धर्मार्थ-अंशदान और दान दिया जाता है:

- स्थानीय कानूनों और अधिनियमों के अनुसार इसके लिए आज्ञा है;
- दान लोकोपकारी संस्थाओं या अन्य पंजीकृत और प्रतिष्ठित लाभ-निरपेक्ष संस्थाओं को दिया गया है;
- लाभभोक्ता संस्था के उद्देश्य IOCHPE-MAXION के मूल्यों के अनुकूल हैं;
- दान उचित राशि का है, और इसके अतिरिक्त निधी को लाभभोक्ता संस्था के नाम के बैंक खाते में हस्तांतरण किया जाना चाहिए;
- दान किसी अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं किया गया है।

**4. कामकाजी वातावरण**

4.1. IOCHPE-MAXION में कार्य संबंधों में पद या किए गए कार्य पर ध्यान दिए बिना मित्रभाव, अनुशासन, सहानुभूति, आपसी सम्मान और विश्वास होना चाहिए।

4.2. कार्य परिस्थितियों में कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों को स्थानीय कानूनों और अधिनियमों का अनुपालन करने के अतिरिक्त सभी की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानव अधिकारों का सम्मान करना चीहिए। मानव अधिकारों का इनकी सर्वव्यापकता के लिए सम्मान

किया जाना चाहिए क्योंकि यह बिना किसी भेद-भाव के सभी के लिए वैध हैं, इनकी अविच्छेद्यता के लिए सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि कोई व्यक्ति इन अधिकारों से वंचित नहीं रहता है, और इनकी अभाज्यता के लिए सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक दूसरे के साथ संबंधित हैं।

4.3. कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों के साथ किए जाने वाले बरताव में भी निष्पक्षता अत्यावश्यक है। IOCHPE-MAXION भेद-भाव या पक्षपात पर आधारित किसी भी व्यवहार को बर्दाशत नहीं करती है, जैसे कि जाति, रंग, आयु, लिंग, लैंगिक पहचान, लैंगिक-रूझान, वैवाहिक स्थिति, पितृ, नस्ल या राष्ट्रीय उत्पत्ति, धर्म, विकलांगता, किसी संघ के साथ बने संबंधों या राजनीतिक धारणा, या किसी अन्य पक्षपाती प्रतिबंध से संबंधित भेदभाव।

4.4. IOCHPE-MAXION अपने कर्मचारियों, निदेशकों, अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं के आपसी संबंधों में नैतिक, लैंगिक या आर्थिक उत्पीड़न जैसे किसी भी ऐसे उत्पीड़न या अन्य प्रकार के अनुचित व्यवहार को बर्दाशत नहीं करती है जिससे भय या शारीरिक या मनोवैज्ञानिक पीड़ा का प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न हो, उदाहरण के लिए:

- सामने वाले पक्ष की सम्मति के साथ या बिना अनुचित शारीरिक स्पर्श;
- लैंगिक शोषण के प्रयास, कामुक उद्देश्य के साथ शारीरिक अंग या अभद्र तस्वीरें दिखाना, या लैंगिक उत्पीड़न के अन्य व्यवहार;
- कर्मचारियों, निदेशकों, अधिकारियों या आपूर्तिकर्ताओं के साथ कार्य-क्षेत्र पर या उनके कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए अपमानजनक या लज्जित करने वाला व्यवहार करना;
- भयभीत करने वाली क्रियाएं, जैसे कि अपमान करना, बदमाशी करना या धमकियां देना;
- छोटे पद के कर्मचारियों से निजी लाभ या सेवाओं का आनंद लेने के लिए अपने पद या अधिकारों का दुरुपयोग करना।

4.5. IOCHPE-MAXION सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, और अपनी कार्य-विधियों में स्वास्थ्य और सुरक्षा परिस्थितियों में सुधार लाने और खतरे की स्थितियों को कम करने का प्रयास करती है। लागू कानूनों और अधिनियमों के अनुसार आवश्यक सुरक्षात्मक या खतरा कम करने वाले साधनों के बिना खतरे की स्थितियों में कार्य करने की आज्ञा नहीं है।

4.6. कार्य-क्षेत्र में शराब और अवैध दवाईयों का सेवन, प्रयोग, बिक्री या इनको अपने पास रखना वर्जित है। और ना ही नशे की हालत में लोगों को या लोगों के व्यवहार में हस्तक्षेप करने वाली और अन्य लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और गतिविधियों को प्रभावित करने वाली अवैध दवाईयों या पदार्थों के प्रभाव अधीन व्यक्तियों को IOCHPE-MAXION के परिसर में दाखिल होने या रहने की आज्ञा है।

4.7. IOCHPE-MAXION में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों, और साथ ही आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी के आन्तरिक नियमों में उल्लिखित सुरक्षा और बचाव उपायों के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए, और इन्हें IOCHPE-MAXION के परिसर में होने के दौरान या कंपनी की तरफ से कार्य करते दौरान और साथ ही काम या सरविस के लिए जाते समय रास्ते में नियमानुसर व्यवहार में लाना चाहिए। उन्हें किन्हीं असुरक्षित परिस्थितियों, हादसों या घटनाओं के बारे में संदेह होने पर विभाग प्रभारी को तुरंत सूचना भी देनी चाहिए।

## 5. कर्मचारी और प्रबंधन टीम के सदस्य

5.1. IOCHPE-MAXION में बाल मज़दूरी की आज्ञा नहीं है और ना ही कंपनी 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को अपने उत्पादन क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति देती है। शिक्षार्थियों को स्थानीय कानूनों और अधिनियमों के अनुपालन में स्कूल की देखरेख और विशेष सावधानी के अधीन प्रशासकीय या तकनीकी क्षेत्रों में 16 वर्ष की आयु से लेकर भर्ती किया जा सकता है।

5.2. IOCHPE-MAXION किसी प्रकार की गुलामी या जबरन मज़दूरी या बलपूर्वक मज़दूरी का निषेध करती है और मानव तस्करी का समर्थन नहीं करती है, इसमें योगदान नहीं देती है, इसमें सहायता नहीं करती है या इसे अंजाम देना आसान नहीं बनाती है। और ना ही किसी तरह के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक शोषण को शामिल करते हुए अनुशासनिक उपायों को बर्दाशत किया जाता है।

5.3. IOCHPE-MAXION में इसके कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों के चयन, दाखिले, आमदनी, मूल्यांकन या पदोन्नति प्रक्रियाओं में अनुचित या पक्षपाती आचरण या अनुचित लाभ को स्वीकार नहीं किया जाता। अन्यों के बजाय, ऊपर दी गई प्रक्रियाओं में निम्नलिखित मापदंडों का प्रयोग किया जाना चाहिए: तकनीकी तैयारी, शैक्षिक पृष्ठभूमि, व्यावसायिक अनुभव, प्रदर्शन, उचित व्यवहार और रवैया, और समूह में कार्य करने की योग्यता।

5.4. IOCHPE-MAXION अपने कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों के निम्नसिखित आचरण को अस्वीकार्य मानती है:

- इस तरह कारोबार का संचालन करना जिसमें अनैतिक या अवैध परिस्थितियां पाई जाती हैं, भले ही इसके परिणामस्वरूप IOCHPE-MAXION के पास उपलब्ध अवसरों में कमी आ जाए;
- निजी या निषिद्ध उद्देश्यों के लिए IOCHPE-MAXION की या इसके ग्राहकों या आपूर्तिकर्ताओं की गोपनीय जानकारी का प्रयोग करना;
- अपने या तीसरे पक्ष के फायदे के लिए IOCHPE-MAXION के साधनों का प्रयोग करना, पद या किए गए कार्य या IOCHPE-MAXION की विशेष जानकारी का फायदा उठाना;
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से IOCHPE-MAXION के बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धियों के सहयोगी के रूप में सहभागिता करनी (सार्वजनिक कंपनियों के प्रबंधन पर प्रभाव डाले बिना इनके शेयरों में निवेश करने के अलावा); ऐसी संस्थाओं के निदेशक या अधिकारी, सलाहकारी या पर्यवेक्षी मंडल के सदस्य, या ऐसी संस्थाओं के सलाहकार के रूप में कार्य करना; या कंपनी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी और ढंग के ज़रिए प्रतिस्पर्द्धा करनी;
- खुद के या तीसरे पक्ष के फायदों के लिए ऐसे ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, प्रतिस्पर्द्धियों या अन्य कंपनियों का लाभ करना या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें सुविधाएं प्रदान करना जिनके IOCHPE-MAXION के साथ व्यापारिक संबंध हैं या जो ऐसे संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं;
- ऐसे ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं या अन्य कंपनियों से दानार्थ कार्यों के अलावा प्रायोजन के लिए अनुरोध करना, जिनके IOCHPE-MAXION के साथ व्यापारिक संबंध हैं या जो ऐसे संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं, और बशर्ते कि इस अनुरोध के लिए IOCHPE-MAXION के अनुपालन विभाग ने पहले से ही स्वीकृति दे दी है।

5.5. IOCHPE-MAXION के कर्मचारी, निदेशक और अधिकारी अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों में और अपने पद और कार्यों के प्रदर्शन में इस संहिता में बताये गए दिशा-निदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, और उन्हें अपने प्रचार को भी बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके प्रभाव के अधीन और उनसे छोटे पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारी उनका अनुपालन करें।

5.6. IOCHPE-MAXION की अपेक्षा है कि इसके कर्मचारी, निदेशक और अधिकारी इस संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता के संबंध में नियमित प्रशिक्षण पाठक्रमों में भाग लें।

5.7. IOCHPE-MAXION के कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों द्वारा इस संहिता या इसके आन्तरिक नियमों के किसी उल्लंघन का उनके प्रदर्शन के मूल्यांकन पर प्रभाव होगा और हो सकता है कि परिणामस्वरूप इस संहिता में बताये गए अनुशासनिक उपायों को लागू करना पड़े।

**6. व्यापार संघ**

6.1. IOCHPE-MAXION व्यापार संघ की सौदेबाज़ी प्रक्रिया की उपयोगिता को पहचानती है, जिसमें अपने सदस्यों द्वारा वैध बना संघ उन्हें यथार्थ, निष्पक्ष व स्वशासित रूप में प्रस्तुत करता है।

6.2. कामकाजी संबंधों में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से IOCHPE-MAXION संघों के साथ वार्तालाप करने के अलावा कंपनी के कर्मचारियों के साथ सीधा संपर्क बनाये रखेगी।

**7. राजनीतिक पार्टी की गतिविधियां**

7.1. कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों को IOCHPE-MAXION को किसी राजनीतिक पार्टी की गतिविधियों के साथ जोड़ने की आज्ञा नहीं है। परिणामस्वरूप, IOCHPE-MAXION के परिसर में चुनाव मुहिम चलाने या अन्य राजनीतिक पार्टी गतिविधियां करने, कंपनी में अपने पद या कार्य का फायदा उठाने, या किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार करने के लिए IOCHPE-MAXION का नाम, संसाधन या किसी अन्य ज़रिए का इस्तेमाल करने की आज्ञा नहीं है।

7.2. IOCHPE-MAXION की तरफ से कोई कर्मचारी, निदेशक या अधिकारी किसी ऐसे देश में नकद, वस्तुओं या सेवाओं के रूप में योगदान या राजनीतिक दान नहीं कर सकता जिसका कानून इसके लिए आज्ञा ना देता हो। जिन देशों में योगदान और राजनीतिक पार्टी के लिए दान करने की कानूनन रूप से आज्ञा है, वहाँ ये कार्य केवल कंपनी के निदेशक मंडल की पूर्व अनुमति के साथ किये जा सकते हैं, बशर्ते कि लागू कानूनों और अधिनियमों का अनुपालन हो रहा हो।

7.3. फिर भी, कर्मचारियों, निदेशकों, और अधिकारियों को अन्य कर्मचारियों , निदेशकों और अधिकारियों के निजी अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, जिसमें विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और राजनीतिक सहभागिता का व्यक्तिगत विकल्प, किसी पार्टी के साथ संबंध और सरकारी या राजनीतिक पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना शामिल है। यदि कोई कर्मचारी, निदेशक या अधिकारी किसी सरकारी या राजनीतिक कार्यालय के लिए चुनाव में खड़े होने का फैसला करता है, तो मानव संसाधन विभाग को तुरंत इस बात की सूचना दी जानी चाहिए तांकि वो किन्हीं संभावित हितों के टकराव या सरकारी कार्यालय में नियुक्त होने के साथ IOCHPE-MAXION में इस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों की अनुकूलता का मूल्यांकन कर सके।

**8. हितों के टकराव**

8.1. हितों के टकराव की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कंपनी का कोई कर्मचारी, निदेशक, अधिकारी या अन्य शासकीय एजेंट चर्चा अधीन विषय को लेकर स्वतंत्र ना हो और अपने या अपने करीबी रिश्तेदारों के निजी हितों या कंपनी के हितों के अलावा किन्हीं अन्य हितों से प्रेरित फैसले ले सकता हो।

8.2. IOCHPE-MAXION में निजी हितों या कंपनी के हितों के प्रतिकूल हितों के आधार पर व्यावसायिक फैसले लेने की अनुमति नहीं है। इसलिए, संभावित हितों के टकराव की परिस्थिति में पड़े किसी कर्मचारी, निदेशक, अधिकारी या अन्य शासकीय एजेंट को तुरंत इसके बारे में सूचना देनी चाहिए और संदेह होने पर इस परिस्थिति से संबंधित किसी भी फैसले को प्रभावित करने या फैसला लेने में योगदान करने से परहेज करना चाहिए।

8.3. कर्मचारियों, निदेशकों और/या अधिकारियों के बीच या इनके और कंपनी के आपूर्तिकर्ताओं (उनके साथियों, निदेशकों और अधिकारियों को शमिल करते हुए) या उनके करीबी रिश्तेदारों के बीच नातेदारी, प्रेम के संबंध या अन्य करीबी निजी रिश्तेदारियों से इनमें से किसी को अनुचित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ नहीं होने चाहिए, या इससे IOCHPE-MAXION में इनके द्वारा की जा रही गतिविधियों के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

8.4. जैसे ही कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों को इन संबंधों के बारे में पता चले, उन्हें तुरंत अपने प्रबंधक या उनकी यूनिट के मानव संसाधन विभाग को सूचना देनी चाहिए: (i) यदि उनका कोई करीबी रिश्तेदार कंपनी में कर्मचारी है; या (ii) वर्गीकरण पर ध्यान दिए बिना यदि किसी सह-कर्मचारी या किसी आपूर्तिकर्ता के साथ करीबी निजी संबंध फैसला लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करें या उनके कार्य प्रदर्शन में हस्तक्षेप करें; तांकि वो साथ मिलकर इस बात पर विचार कर सकें कि क्या हितों के टकराव की संभावना है और इस का समाधान कैसे करना है।

8.5. किसी भी परिस्थिति में उन कर्मचारियों, निदेशकों या अधिकारियों को कंपनी में एक ही वर्ग के अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अधीनता के अंतर्गत काम करने की अनुमति नहीं होगी, जो करीबी रिश्तेदार हैं। मानव संसाधन विभाग को तुरंत ऐसी परिस्थितियों की सूचना देनी चाहिए, तांकि, नैतिक समिति की अगुआई के अधीन, प्रत्येक परिस्थिति की विशेषताओं को ध्यान में रखकर सबसे उचित समाधान को स्वीकार किया जा सके।

8.6. चाहे उन सभी परिस्थितियों की पहचान करना संभव नहीं है जो संभावित हितों के टकराव की स्थिति को उत्पन्न कर सकें, लेकिन नीचे दी गई परिस्थियाँ हितों के टकराव की आम उदाहरणें हैं:

- ऐसे किसी आपूर्तिकर्ता, ग्राहक या अन्य संस्था के साथी के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता करनी जिनके IOCHPE-MAXION के साथ व्यापारिक संबंध हैं या जो ऐसे संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं (सार्वजनिक कंपनियों के प्रबंधन पर प्रभाव डाले बिना इनके शेयरों में निवेश करने के अलावा), या निदेशक या अधिकारी, सलाहकारी या पर्यवेक्षी मंडल के सदस्य, या ऐसी संस्थाओं के सलाहकार के रूप में कार्य करना;
- ऐसा कोई करीबी रिश्तेदार होना जो ऐसे किसी आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, व्यवसायिक प्रतिस्पर्द्धी या अन्य संस्था का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार है जिसके IOCHPE-MAXION के साथ व्यापारिक संबंध हैं या जो ऐसे संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं (सार्वजनिक कंपनियों के प्रबंधन पर प्रभाव डाले बिना इनके शेयरों में निवेश करने के अलावा) या जो निदेशक या अधिकारी, सलाहकारी या पर्यवेक्षी मंडल के सदस्य, या ऐसी संस्थाओं के सलाहकार के रूप में कार्य करता हो;
- ऐसे किसी आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, व्यवसायिक प्रतिस्पर्द्धी या किसी अन्य संस्था से निजी लाभ प्राप्त करना जिनके IOCHPE-MAXION के साथ व्यापारिक संबंध हैं या जो ऐसे संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं;

- व्यक्तिगत प्रकृति की कोई पद, काम, या बाहरी ज़िम्मेदारी स्वीकार करना जो कंपनी में उनके काम के समय, प्रदर्शन या उत्पादकता को खतरे में डाल सकती हो या व्यवसायिक बाज़ार में प्रतिस्पद्धी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम में सहायता करना।

8.7. IOCHPE-MAXION के सभी पूर्ण-कालिक कर्मचारियों, निदेशकों या अधिकारियों को उनके द्वारा पार्ट-टाइम कार्य करने की इच्छा की सूचना पहले ही अपने प्रबंधक या अपनी यूनिट के मानव संसाधन विभाग को देनी चाहिए तांकि किसी संभावित हितों के टकराव का मूल्यांकन किया जा सके।

8.8. पारदर्शी होना सबसे बेहतरीन ढंग है। चाहे ही हितों के टकराव की घटना आवश्यक रूप से दुराचार नहीं है, लेकिन इसके बारे में सूचना ना देने से इस आचार-संहिता में दिए गए अनुशासनिक उपायों के अनुप्रयोग के अधीन इसका उल्लंघन होता है।

8.9. इस संहिता के प्रयोजन में, किसी व्यक्ति के बच्चों, सौतेले बच्चों, पोते/पोतियों, पिता और माता, पति/पत्नी या साथी, बहन-भाई, चाचा और चाची , भतीजों और भतीजीयों, सास-ससुर, बेटी के पति और बेटे की पत्नी, पति/पत्नी के भाईयों और पति/पत्नी की बहनों या संदेह अधीन व्यक्ति पर निर्भर करने वाले किसी भी व्यक्ती को उसके "करीबी रिश्तेदार" माना जाता है।

## 9. आपूर्तिकर्ता और सेवा प्रदाता

9.1. IOCHPE-MAXION को अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंधों में नैतिकता, ईमानदारी और पारदर्शिता भी चाहिए। IOCHPE-MAXION के कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों को कंपनी के सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी, निष्पक्ष और पारदर्शी मापदंडों के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं का चयन करते, ठेका लेते समय और काम पर रखे रखने के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए: जिनमें प्रतिष्ठा और नैतिक आचरण, प्रतिस्पर्द्धा, गुणवत्ता, सेवा का स्तर, तकनीकी नवाचार, समय सीमा के अंतर्गत अनुपालन, प्रतियोगिता की भावना, और आर्थिक और वित्तीय स्थिति शामिल हैं।

9.2. IOCHPE-MAXION के आपूर्तिकर्ताओं को बाल मज़दूरी या किसी प्रकार की गुलामी या जबरन मज़दूरी या बलपूर्वक मज़दूरी की आज्ञा आवश्यक नहीं देनी चाहिए। और ना ही उन्हें मानव तस्करी का समर्थन करना चाहिए, इसमें योगदान देना चाहिए, इसमें सहायता करनी चाहिए या इसे अंजाम देना आसान बनाना चाहिए और ना ही किसी तरह के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक शोषण को शामिल करते हुए अनुशासनिक उपायों को सहन करना चाहिए।

9.3. IOCHPE-MAXION और इसके आपूर्तिकर्ताओं के आपसी संबंधों को उपयुक्त दस्तावेज़ों का औपचारिक रूप आवश्यक देना चाहिए जिसमें इन आपूर्तिकर्ताओं का इस संहिता, और साथ ही मज़दूर संबंधों, कार्य-क्षेत्र में स्वास्थ्य और सुरक्षा, और भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने के संबंध में लागू कानूनों और अधिनियमों का अनुपालन करने के संबंध में विशेष उपनियम शामिल हों।

9.4. IOCHPE-MAXION अपने उत्पादों में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों को इस ढंग से खरीदने के लिए वचनबद्ध है जो सशस्त्र संघर्ष या मानव अधिकारों के उल्लंघन का समर्थन ना करता हो, उसमें योगदान ना करता हो, सहायता ना करता हो या इस को अंजाम देना आसान ना बनाता हो। इनमें वो सामग्रियाँ शामिल हैं जिनमें टिन, टंगस्टन, टैंटेलम, और सोना हो सकता है जिन्हें "घातक खनिज" कहा जाता है। IOCHPE-MAXION यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करता है कि उनके उत्पादों में शामिल ऐसे किन्हीं खनिजों का उत्पादन ज़िम्मेदार तरीके से किया जाता है और यह सशस्त्र संघर्ष या मानव

अधिकारों के उल्लंघन में योगदान ना डालते हों। IOCHPE-MAXION अपने आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा करता है कि वे इन्हीं आदर्शों का पालन करें।

9.5. इस संहिता में दिए गए कर्तव्यों की अवज्ञा करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के साथ इकरारनामे संबंधी या किसी अन्य किस्म के संबंध का इकरार करने, इसको बनाए रखने या इसका नवीनीकरन करने की अनुमति नहीं है।

**10. ग्राहक**

10.1. गति, समय की पाबंदी, गुणवत्ता, प्रतियोगिता की भावना और तकनीकी नवाचार, नैतिक तरीके से कार्य करने और लागू कानूनों और अधिनियमों के साथ अनुपालन के विषय में अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में IOCHPE-MAXION अपने उत्पादों और सेवाओं को उत्तम बनाने के लिए वचनबद्ध है।

10.2. IOCHPE-MAXION का अपने ग्राहकों के साथ रिश्ता IOCHPE-MAXION के उत्पादों और सेवाओं के संबंध में पारदर्शी, निष्पक्ष, उचित ढंग और जल्दी से संबंधित जानकारी के प्रेषण पर आधारित है, जो विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए अधितकृत कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

10.3. IOCHPE-MAXION के ग्राहकों की गोपनीय जानकारी को सुरक्षित वातावरण में सुरक्षित और प्रेषित किया जाएगा। यह कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों और लागू होने पर IOCHPE-MAXION के आपूर्तिकर्ताओं पर भी निर्भर होगा कि वो कंपनी के वातावरण में जानकारी की सुरक्षा बनाये रखें।

10.4. इस बात पर दृढ़ता से यकीन करते हुए कि स्वतंत्र और खुली प्रतिस्पर्द्धा रचनात्मकता को प्रेरित करती है और निरंतर सुधार को बढ़ावा देती है, IOCHPE-MAXION प्रतियोगिता के लिए बने कानूनों और अधिनियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध है। ऊपर उल्लिखित नियम इसके कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों और साथ ही कंपनी को कानूनन और प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने वाले तीसरे पक्ष के कार्यों की अगुवाई करेंगे, और इसी के साथ ऊपर लिखी हुई सभी पार्टियाँ प्रतियोगी प्रक्रिया को निष्फल या उसके साथ कपट करने के लिए बनायी गई कार्य-विधियाँ या कार्य करने से वर्जित हैं।

**11. भ्रष्टाचार का विरोध**

11.1. IOCHPE-MAXION में कंपनी के कारोबार या गतिविधियों का संचालन करते समय और साथ ही सरकारी प्रशासकीय एजेंटों और निजी सेक्टर से व्यक्तियों के साथ बात-चीत करते समय सभी कर्मचारियों, निदेशकों, अधिकारियों, और आपूर्तिकर्ताओं को नैतिक, ईमानदार और पारदर्शी ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है।

11.2. IOCHPE-MAXION के कर्मचारी, निदेशक और अधिकारी, और साथ ही इसके आपूर्तिकर्ता किसी भी रूप में या विषय में भ्रष्टाचार का विरोध करने या इसे बर्दाशत ना करने की ज़िम्मेदारी लेते हैं और ऐसा करने के लिए वचनबद्ध हैं, और इस वचनबद्धता के प्रतिकूल व्यवसायिक अवसरों को पूरी दृढ़ता के साथ ना कहने की ज़िम्मेदारी लेते हैं।

11.3. भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई और सरकारी प्रशासन और सरकारी संपत्ति के लिए अहितकर कार्यों के संबंध में IOCHPE-MAXION पर लागू विभिन्न कानूनों और अधिनियमों को ध्यान में लेते हुए, जिनमें दि ब्राज़ीलियन ऐंटी-करप्शन लॉ (लॉ नंबर 12,846/2013), दि फोरेन करप्ट प्रैक्टिसेज़ ऐक्ट ऑफ 1977 (FCPA) और दि UK ब्राइबरी ऐक्ट (UKBA) ("भ्रष्टाचार-विरोधी नियम") शामिल हैं, कंपनी के हितों में या कंपनी की तरफ से प्रत्यक्ष

या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाले कंपनी के कर्मचारी, निदेशक, अधिकारी और तीसरे पक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नीचे दिए हुए कार्य करने से वर्जित हैं।

- IOCHPE-MAXION के पक्ष में फैसले करवाने, या IOCHPE-MAXION के हितों को प्रभावित करने वाला निजी लाभ प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति, खास तौर पर सरकारी प्रशासकीय एजेंटों या तीसरे पक्षों को कोई अनुचित लाभ प्रस्तुत करना, के लिए वायदा करना, को फुसलाना, प्रदान करना या अधिकृत करना;
- "सहूलीयत भुगतान" प्रस्तुत करना, या करने के लिए वायदा करना, फुसलाना, प्रदान करना या अधिकृत करना, यह सरकारी प्रशासकीय एजेंटों, या उनसे संबंधित तीसरे पक्ष को ज़्यादातर रोज़ाना या गैर-वैकल्पिक कार्यों में तेज़ी लाने जैसे कि अनुमति, लाइसेंस, सीमाशुल्क दस्तावेज़ और अन्य आधिकारिक दस्तावेज़ प्राप्त करने जैसे लाभ लेने के इरादे से दिए जाने वाले भुगतान हैं जिन्हें महत्वहीन माना जाता है;
- धमकियों, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और लालच के परिणामस्वरूप अनुचित लाभ प्रस्तुत करना, के लिए वायदा करना, फुसलाना, प्रदान करना या अधिकृत करना, बशर्ते कि उस व्यक्ति या उसके करीबी रिश्तेदार की सुरक्षा खतरे में हो, जिस परिस्थिति में उसे जितनी जल्दी हो सके, इस बात की सूचना अनुपालन विभाग को देनी चाहिए;
- रिश्वत देना या लेना;
- तीसरे पक्षों के पक्ष में फैसले करवाने या IOCHPE-MAXION के हितों को प्रभावित करने वाला निजी लाभ प्राप्त करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों सहित तीसरे पक्षों द्वारा दिए जा रहे अनुचित फायदों के लिए अनुरोध करना या उन्हें स्वीकार करना;
- अवैध कार्यों के अभ्यास को वित्तपोषित करना, के लिए निधि प्रदान करना या उनका प्रायोजन करना;
- अवैध कार्य करने के इरादे से अपनी पहचान और वास्तविक हितों को गुप्त रखने और छुपाने के लिए मध्यवर्ती संस्थाओं का प्रयोग करना;
- नीलामी या समझौतों में परिवर्तन या छल करना;
- कंपनी या सरकारी प्रशासकीय एजेंटों की जाँच या निरीक्षण गतिविधियों में रूकावट डालना या हस्तक्षेप करना;
- अनुपालन विभाग को सूचना देने में असफल रहना यदि वे भ्रष्टाचार-विरोधी नियमों के उल्लंघन के साथ संबंधित प्रशासकीय या न्यायिक प्रक्रिया में शामिल रहे हैं या वर्तमान में शामिल हैं;
- भ्रष्टाचार-विरोधी नियमों के तहत किसी अन्य प्रकार का अवैध कार्य करना।

11.4. इस संहिता के प्रयोजन से, "<u>अनुचित लाभ</u>" से अभिप्राय है ऐसा कोई लाभ, भुगतान या फायदा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष , स्पष्ट या अस्पष्ट, जिसका कोई व्यक्ति पात्र है, और जो धन, उपहारों, दावतों, मनोरंजन, यातायात, भेंट, सेवाओं, वस्तुओं के प्रयोग, नौकरी की पेशकश, योगदान या दान, व्यवसायिक परिस्थितियों में बदलाव, छूट, अदायगी या खर्चों या कर्ज़ के भुगतान का रूप ले सकता है।

11.5. व्यवसाय के सामान्य प्रवाह में कम कीमत के उपहारों, दावतों या मनोरंजनात्मक गतिविधियों को प्रस्तुत करने या स्वीकार करने की अनुमति हो सकती है बशर्ते कि इस संदर्भ में IOCHPE-MAXION के विशेष अंदरूनी कानूनों और साथ ही प्रत्येक जगह पर लागू कानूनों और अधिनियमों का अनुपालन हो रहा हो। किसी भी परिस्थिति में, चाहे जो भी हो, ऐसे उपहारों, दावतों या मनोरंजनात्मक गतिविधियों का लक्ष्य अनुचित रूप से फैसलों को प्रभावित करना या हितों के टकराव उत्पन्न करना होता है। यदि कंपनी के अंतर्गत प्रस्तुत या स्वीकार किए जाने वाले उपहार, दावतों या मनोरंजनात्मक गतिविधियों की किस्म के संबंध में कोई संदेह हो तो,

वो कर्मचारी, निदेशक या अधिकारी अपने प्रबंधक, अपनी यूनिट के मानव संसाधन विभाग या कंपनी के अनुपालन विभाग के साथ संपर्क कर सकता है।

11.6. अपने कर्तव्यों को करते दौरान, IOCHPE-MAXION के निदेशकों और अधिकारियों के साथ हमेशा कम से कम कंपनी का एक अन्य निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी होना चाहिए जब राजनीतिक रूप से मशहूर व्यक्तियों के साथ मुलाकातें करनी हो, अर्थात् उन व्यक्तियों के साथ जो लागू कानूनों और अधिनियमों द्वारा निर्धारित समय में प्रख्यात सरकारी पदवियों पर हों या रहे हों, और उनके प्रतिनिधि, पारिवारिक सदस्य और करीबी मित्र भी।

11.7. किसी ऐसी स्थिति में जब सरकारी प्रशासन का कोई एजेंट या निजी सेक्टर का कोई व्यक्ति जो कोई ग्राहक या आपूर्तिकर्ता भी हो सकता है, बहस करता है कि किसी विशिष्ट समस्या का हल करने के लिए, किसी व्यक्ति का कुछ फायदा करना होगा, या किसी अनुचित लाभ के लिए अनुरोध करता है या पेशकश करता है, तो उस के साथ संपर्क खत्म कर देना चाहिए और समस्या की सूचना तुरंत अनुपालन विभाग को या हॉटलाइन के माध्यम से दे देनी चाहिए, तांकि उचित कार्यवाही की जा सके।

11.8. अधिक जानकारी के लिए, कृप्या नैतिकता और भ्रष्टाचार, और साथ ही उपहारों, दावतों और मनोरंजनात्मक गतिविधियों के संबंध में कंपनी के अंदरूनी नियमों को देखें। जिस सम्स्या के साथ आप निपट रहे हो, उसके संदेहों के साथ ही अन्य किसी संदेह को स्पष्ट करने के लिए, अनुपालन विभाग के साथ संपर्क करना चाहिए या हॉटलाइन का प्रयोग करना चाहिए।

**12. धनशोधन की रोकथाम**

12.1. धनशोधन वो प्रक्रिया है जिसमें अवैध प्रक्रियाओं के साथ संबंधित धन की प्रकृति और स्त्रोत को छुपाने का प्रयास किया जाता है और यह अवैध धन को व्यवसायिक प्रवाह के साथ मिला कर ऊपर दी हुई राशि को स्थानीय अर्थव्यवस्था में दाखिल करवा कर किया जाता है ताकि यह वैध लगे या इस उद्देश्य से कि इसकी वास्तविक उत्पत्ति या मालिक के बारे में ना पता चले।

12.2. IOCHPE-MAXION धनशोधन या दहशत को वित्तपोषित करने या हथियारों और नशीली दवाईयों की तस्करी, या ऐसे कार्यों को किसी भी रूप या संदर्भ में सुविधाजनक बनाने के किसी व्यवहार को बर्दाशत नहीं करता है। IOCHPE-MAXION के कर्मचारी, निदेशक, अधिकारी और आपूर्तिकर्ता अपने कार्य-क्षेत्रों में लागू कानूनों और अधिनियमों का अनुपालन करेंगे और धनशोधन या दहशत वित्तपोषण और तस्करी से संबंधित किन्हीं संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानने पर तुरंत हॉटलाइन को सूचना देंगे, इन गतिविधियों में असाधारण या अनियमत भुगतान या अवैध उत्पत्ति के आर्थिक स्त्रोतों के चिन्ह शामिल होंगे।

**13. मीडिया**

13.1. मीडिया के साथ IOCHPE-MAXION के संबंध सच्चाई और स्वतंत्रता के आदर्शों पर आधारित हैं, और इसके साथ ही कंपनी को इस बात की अच्छी तरह से समझ है कि उसे किस बात की सूचना देनी चाहिए और मार्केटिंग कार्यवाही क्या होती है।

13.2. मीडिया के साथ संपर्क और IOCHPE-MAXION की जानकारी का प्रकटीकरण केवल उन कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है जिनको स्पष्ट और उचित ढंग से, लागू कानूनों और अधिनियमों का अनुपालन करते हुए ऐसा करने के लिए अधिकार दिया हो। इंटरव्यू करते दौरान, अन्य

सार्वजनिक प्रदर्शनों में या मीडिया में आर्टीकल या समाचार के प्रकाशन के समय IOCHPE-MAXION के हितों और प्रतिष्ठता की रक्षा की जाएगी।

13.3. इस संहिता के आदर्शों और दिशा-निदेशों का अनुपालन करने के अलावा, Facebook, Instagram and LinkedIn और कई अन्य सोशल नेटवर्कों पर IOCHPE-MAXION को शामिल करते हुए विषयों के संबंध में सक्रिय रहने के लिए निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए:

- कर्मचारियों, निदेशकों, अधिकारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, कूटनीतियों, बाज़ार, उत्पादन या प्रौद्योगिकी, या अन्य किसी गोपनीय जानकारी से संबंधित सामग्री, जानकारी या टिप्पणियों का प्रकाशन ना करना;
- कापीराइट और अन्य बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन ना करना;
- ऐसी किसी जानकारी को ना छापना जिसके बारे में कोई ज्ञान या अनिश्चितता नहीं है;
- IOCHPE-MAXION से संबंधित विवाद या आलोचना की घटना में तुरंत अनुपालन विभाग को सूचना देना।

13.4. IOCHPE-MAXION के नाम को निजी पोस्टों के साथ जोड़ने की अनुमति है जब तक इसकी प्रतिष्ठा के साथ समझौता ना हो और बशर्ते कि यह पोस्टें किसी ऐसे व्यवहार से ना जुड़ी हों जिसको कंपनी स्वीकार ना करती है या पोस्टों में कोई गोपनीय या संवेदनशील जानकारी शामिल नहीं होनी चाहिए। सोशल नेटवर्क पर डाली जा रही जानकारी की जल्दी से प्रति निकाली जा सकती है और यह जानकारी डिजीटल संसार में लंबे समय तक रहती है। इसलिए, कुछ प्रकाशित करने से पहले, आपको और IOCHPE-MAXION को आपकी पोस्ट या टिप्पणी से होने वाले प्रभावों पर ध्यान से विचार या मूल्यांकन करना चाहिए।

## 14. जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा

14.1. IOCHPE-MAXION की तरफ से किसी तरह का पूर्व लिखित अधिकार ना होने तक, यह कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों का कर्तव्य है कि वो IOCHPE-MAXION के साथ अपने संबंधों की जानकारी, कोई ऐसी जानकारी जो सावर्जनिक रूप से प्रकट ना हो या कपनी के कार्य-क्षेत्र में सभी को पता हो, और जो किसी कर्मचारी, निदेशक या अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई हो, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से IOCHPE-MAXION के साथ संबंधित हो, को संबंधों के प्रभावी होने या उनके संबंध खत्म होने के बाद किसी भी समय किसी व्यक्ति या संस्था को ना दें।

14.2. IOCHPE-MAXION की जानकारी की गोपनीयता और गुप्तता को सुनिश्चित करने के लिए, कम से कम निम्नलिखित नियमों का तो अनुपालन किया जाना चाहिए:

- IOCHPE-MAXION की बौद्धिक संपत्ति का सम्मान करें। IOCHPE-MAXION के उपकरणों और जानकारी सिस्टमों में तैयार किया गया और रखा गया सारा डेटा इसकी अपनी संपत्ति है;
- उचित अधिकारों के बिना किसी दस्तावेज़, जानकारी या डेटा की सामग्री में परिवर्तन ना लाएं;
- कापीराइट द्वारा सुरक्षित, और IOCHPE-MAXION के अंदर तैयार किए गए कंप्यूटर प्रोग्रामों को कापी करने से परहेज करें;
- लाइसेंस समझौतों के अधीन तीसरे पक्ष से खरीदे गए कंप्यूटर प्रोग्रामों को कापी ना करें जब तक अधिकारों के मालिक द्वारा अनुमति ना हो;
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अनुमति के बिना IOCHPE-MAXION के कंप्यूटरों में प्रोग्रामों को इंस्टाल ना करें;
- लेखक को जाने बिना या उचित अधिकारों के बिना बाहरी लोगों के सामने जानकारी प्रकट ना करें;
- अनुपालन विभाग की अनुमति के बिना IOCHPE-MAXION के ट्रेडमार्क का प्रयोग ना करें;

- IOCHPE-MAXION के उत्पादों और सेवाओं की मार्केटिंग, उन्नति या प्रकटीकरण योजनाओं, बाज़ार से संबंधित गुप्त बातों, प्रशिक्षण प्रोग्रामों, नियम पुस्तकाओं, तकनीकी जानकारी, मूल्य सूचीयों, वित्तीय डेटा और व्यवसायिक योजनाओं, या कंपनी की कोई अन्य गोपनीय जानकारी को सांझा ना करें;
- बाहरी गतिविधियों और प्रकाशनों, जैसे पाठों, लेक्चरों, सम्मेलनों और अकादमिक पत्रों में और कई अन्य साधनों द्वारा IOCHPE-MAXION की जानकारी का प्रयोग करने से पहले अनुपालन विभाग से प्राधिकरण के लिए अनुरोध करें;
- IOCHPE-MAXION को छोड़ते समय, IOCHPE-MAXION की किसी संपत्ति या दस्तावेज़ों को अपने पास ना रखें और कंपनी को सभी वस्तुएँ और दस्तावेज़ वापिस कर दें चाहे मूल हो या प्रतियाँ, और साथ ही IOCHPE-MAXION के साथ संबंध होने के दौरान मिली, रखी और/या तैयार की गई किन्हीं फाईलों, कोरसपोडेंस और/या संपर्कों को भी;
- IOCHPE-MAXION के कंप्यूटर सिस्टमों तक अधिकार ना प्राप्त लोगों की पहुँच सीमित कर दें और उन्हें कभी भी अपना निजी पासवर्ड ना दें।

## 15. सूचना प्रौद्योगिकी के स्त्रोत और गोपनीयता

15.1. कर्मचारियों, निदेशकों, अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं को IOCHPE-MAXION के साथ संबंधित और/या इसके द्वारा प्रदान की गई किसी या सारी सूचना प्रौद्योगिकी (उदाहरण के लिए, हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, ऐप्लीकेशन सिस्टम, जिनमें इंस्टेंट मैसेजिंग, ई-मेल, इंटरनेट और कार्पोरेट नेटवर्क) का प्रयोग केवल पेशेवर उद्देश्यों से करना चाहिए। ऐसे स्त्रोतों का इस्तेमाल अवैध, अनैतिक या पोर्नोग्राफिक सामग्री वाले संदेशों को भेजने या सांझा करने या ऐसी जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने के लिए सख्त रूप से वर्जित है जिसमें पक्षपाती सामग्री या इस संहिता में प्रसतुत किए गए आदर्शों और दिशा-निदेशों के प्रतिकूल सामग्री हो। डायरेक्ट मेल जैसे बड़े-स्तर के संपर्कों को स्टोर करने या भेजने के लिए IOCHPE-MAXION के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, जो पेशेवर गतिविधियों के साथ संबंधित हो भी सकता है और नहीं भी।

15.2. कर्मचारियों, निदेशकों, अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कयोंकि IOCHPE-MAXION के साथ संबंधित/इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले सूचना प्रौद्योगिकी के स्त्रोत और अन्य वर्क टूल पूरी तरह से केवल पेशेवर उपयोग के लिए हैं, इसलिए किसी भी समय उनके उपगोग और सामग्री के साथ इनका निरीक्षण किया जा सकता है। इसलिए, IOCHPE-MAXION के पास स्थानीय कानूनों और अधिनियमों का अनुपालन करते हुए वर्लडवाइड वैब ब्राउज़िंग रिकॉर्ड्स, कारपोरेट ई-मेल, कंप्यूटरों और सरवरज़ पर स्टोर की हुई जानकारी, और IOCHPE-MAXION के साथ संबंधित और/या इसके द्वारा प्रदान किए गए फिकस्ड और मोबाइल टेलीफोनी स्त्रोतों का निरीक्षण करने का अधिकार आरक्षित है। इसलिए, IOCHPE-MAXION के स्त्रोतों का प्रयोग करते समय, कर्मचारियों, निदेशकों, अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं को स्थानीय कानूनों और अधिनियमों के अनुपालन के अनुसार के अलावा उनके संबंध में गोपनीयता की कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

15.3. बाकी सभी परिस्थितियों में, प्रत्येक कर्मचारी, निदेशक, अधिकारी या आपूर्तिकर्ता की निजी ज़िंदगी पूरी तरह से उसकी अपनी है, जब तक यह IOCHPE-MAXION में उसकी गतिविधियों के प्रदर्शन में हस्तक्षेप नहीं करती। IOCHPE-MAXION अपने अंदरूनी नियमों और स्थानीय कानूनों और अधिनियमों के अनुसार अपने सभी कर्मचारियों, निदेशकों, अधिकारियों, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की गोपनीय प्रकृति की निजी जानकारी की गोपनीयता और गुप्तता की गारंटी देती है।

## 16. शेयरधारक, सम्भावित निवेशक और बाज़ार के विश्लेषण

16.1. IOCHPE-MAXION इस संहिता में बताये गए आदर्शों और दिशा-निदेशों के साथ अनुपालन के अनुसार अपने कारोबार की सतत वृद्धि के माध्यम से अपने शेयरधारकों की पर्याप्त रिटरनों के लिए प्रयत्न करने के लिए वचनबद्ध है।

16.2. IOCHPE-MAXION के शेयरधारकों, संभावित निवेशकों और बाज़ार विश्लेषकों के साथ संबंध प्रासंगिक जानकारी के सही, पारदर्शी, निष्पक्ष और सामयिक वार्तालाप पर आधारित हैं और जो उन्हें कंपनी की गतिविधियों और प्रदर्शन की निगरानी करने के योग्य बनाता है, बशर्ते कि ऊपर उल्लखित जानकारी हमेशा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अधिकृत कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों द्वारा प्रदान की जा रही हो।

16.3. शेयरधारकों, संभावित निवेशकों या बाज़ार विश्लेषकों के साथ संपर्क के सभी अनुरोधों को IOCHPE-MAXION के निवेशक संबंध विभाग के पास भेजना चाहिए, जो उचित और सामयिक ढंग में इस तरह के संपर्क करवाने के लिए तैयार और उपलब्ध है।

| **निवेशक संबंध विभाग**: | |
|---|---|
| ▪ टेलीफोन: | +55 11 5508 3830 |
| ▪ ई-मेल: | ri@iochpe.com.br |

**17. IOCHPE-MAXION के शेयरों के साथ व्यापार**

17.1. यह IOCHPE-MAXION के निदेशकों और अधिकारियों, संवैधानिक लेखा कमेटी और राजकर काउंसल के सदस्यों, यदि स्थापित हुआ है तो, और कर्मचारियों का कर्तव्य है कि **(i)** वो अभी तक बाज़ार में ना प्रकट हुई कंपनी की प्रसांगिक जानकारी की सुरक्षा करें और उसे राज़ रखें, और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास करें कि उनके नीचे काम करने वाले भरोसेमंद कर्मचारी और तीसरे पक्ष भी ऐसा ही करें, और **(ii)** अपने या तीसरे पक्ष के लाभ के लिए ऐसी विशेष जानकारी का प्रयोग ना करें। प्रसांगिक जानकारी कोई भी ऐसी जानकारी होती है जो काफी हद तक IOCHPE-MAXION द्वारा जारी किए गए शेयरों और अन्य सिक्योरिटीज़ के बाज़ारी मूल्य को या ऐसे शेयरों और सिक्योरिटीज़ को खरीदने, बेचने, संभाल कर रखने, या प्रयोग करने के निवेशकों के अधिकारों को प्रभावित कर सकती हो।

17.2. एक साधारण नियम के रूप में, IOCHPE-MAXION के उन निदेशकों, अधिकारियों, संवैधानिक लेखा कमेटी और राजकर काउंसल के सदस्यों, यदि स्थापित हुआ है तो, और कर्मचारियों के लिए IOCHPE-MAXION द्वारा जारी किए गए शेयरों और अन्य सिक्योरिटीज़ के साथ व्यापार करना वर्जित है, जिनको अभी तक बाज़ार में प्रकट ना हुई प्रसांगिक जानकारी के बारे में पता है। यही निषेध कंपनी के आपूर्तिकर्ताओं और प्रसांगिक जानकारी के जानकार उन अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होता है, जिन्हें यह भी पता है कि अभी तक यह जानकारी बाज़ार में प्रकट नहीं हुई है।

17.3. उपर उल्लखित व्यक्तियों को IOCHPE-MAXION की त्रैमासिक जानकारी और सालाना वित्तीय बयानों के प्रकटीकरण के पंद्रह (15) दिन पूर्व के समय दौरान भी IOCHPE-MAXION द्वारा जारी किए गए शेयरों और अन्य सिक्योरिटीज़ के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं है।

17.4. इसके अतिरिक्त, IOCHPE-MAXION की सिक्योरिटीज़ की व्यापार और जानकारी प्रकटीकरण नीति का अनुपालन, जो कंपनी और दि ब्राज़ीलियन सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज कमीशन ("CVM") की वैबसाइट पर मिल सकती है, IOCHPE-MAXION और खास तौर पर CVM द्वारा जारी की गई सिक्योरिटीज़ के व्यापार पर लागू कानूनों और अधिनियमों के साथ किया जाना चाहिए।

## 18. लेखा रिकॉर्ड और वित्तीय विवरण

18.1. IOCHPE-MAXION के लेखा रिकॉर्ड अवश्य ही लागू कानूनों और अधिनियमों, आमतौर पर स्वीकृत लेखा आदर्शों एवं कंपनी के अंदरूनी नियमों के अनुसार निर्मित किए जाने चाहिए।

18.2. IOCHPE-MAXION सटीक, संपूर्ण, सही एवं ऑडिट किए जाने योग्य लेखा रिकॉर्ड रखने के लिए प्रतिबद्ध है वो भी किसी चूक या छल-कपट के कार्यों को स्वीकृति दिए बिना, फिर चाहे वो गलती से हो या धोखेबाज़ी के साथ हो। आचरण जैसे कि दस्तावेज़ो की जालसाज़ी, रिपोर्ट को गलत जानकारी के साथ भरना और आपूर्तिकर्ताओं को नियत दाम से अधिक मूल्य पर नियुक्त करना, धोखेबाज़ी की उदाहरणें हैं और ये इस सहिंता में प्रदान किए गए अनुशासनिक उपाय लागू किए जाने का कारण बनेंगी।

18.3. IOCHPE-MAXION की सभी प्रतिबद्धताओं एवं भुगतानों का अनुमान और कार्यान्वयन केवल कंपनी के अंदरूनी नियमों के अनुसार स्वीकृति के समर्थ स्तर से पूर्व अनुमति के साथ किया जा सकता है। IOCHPE-MAXION के सभी लेखा रिकॉर्ड विधिवत रूप से अधिकृत उपभोक्ताओं द्वारा कार्यान्वित किए जाने चाहिए।

18.4. IOCHPE-MAXION के आर्थिक विवरण आम तौर पर स्वीकृत लेखा आदर्शों के अनुसार तैयार किए जाएंगे और उनका प्रकटीकरण लागू लेखा घोषणाओं एवं अधिनियमों में स्थापित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

## 19. शिकायतें एवं हॉटलाइन

19.1. IOCHPE-MAXION अपने कर्मचारियों, निदेशकों, अधिकारियों, आपूर्तिकर्ताओं और तीसरे पक्षों को साधारण तौर पर ऐसे किसी भी कार्य या स्थिति के बारे में सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करती है जो उन्हें लगता है कि इस आचार सहिंता, IOCHPE-MAXION के अंदरूनी नियमों या इस पर लागू होने वाले कानूनों एवं अधिनियमों का उल्लंघन है या हो सकता है, जिससे मामले की जाँच की सुगम और शीघ्र कार्यवाही किए जाने के लिए उपलब्ध अधिकतम जानकारी प्राप्त होगी। किसी संदिग्ध उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्यवाही कंपनी, उसके कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों के साथ-साथ पूरी तरह से समाज को होने वाले नुकसान को रोकने या सीमित करने में मदद कर सकती है।

19.2. IOCHPE-MAXION के किसी भी कर्मचारी, निदेशक, अधिकारियों और आपूर्तिकर्ता, जिसे उचित संदेह है या उल्लंघन या दुर्व्यवहार का पता चलता है, फिर चाहे वो कार्यवाही से हुआ हो या चूक से, उसका प्रश्नात्मक कार्य या स्थिति की सूचना देने का कर्त्तव्य और ज़िम्मेदारी है, और कार्यवाही करने में संदेहजनक होने पर उसे सलाह लेनी चाहिए। किसी ज्ञात या समुचित रुप से संदिग्ध उल्लंघन की जान बूझ कर सूचना न देना संहिता में स्थापित अनुशासनिक उपायों के लागू किए जाने की चूक का विषय है।

19.3. संदिग्ध उल्लंघनों और शिकायतों की सूचना सीधे शिकायतकर्ता के प्रबंधक, उसकी इकाई के मानव संसाधन विभाग, या हॉटलाइन के माध्यम से की जा सकती है, जिससे सूचना या शिकायत गुमनाम रूप से की जा सकती है।

19.4. हॉटलाइन, या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त संदिग्ध उल्लंघनों और शिकायतों की सभी सूचनाओं को स्वतंत्रता, निष्पक्षता, उचित पद्धति और कानूनी सहायता के साथ दर्ज किया जाएगा और उसकी जाँच की जाएगी।

19.5. सूचनाकर्ता की सुरक्षा संदिग्ध उल्लंघनों और शिकायतों की अज्ञात सूचनाएं प्राप्त करने की संभावना और सूचनाकर्ता के खिलाफ प्रतिशोध पर प्रतिबंध के द्वारा सुनिश्चित है। उचित जांच प्रक्रियाओं के अनुसार इसके संभव होने और कानूनी रूप से स्वीकार्य होने की सीमा तक, संदिग्ध उल्लंघनों और शिकायतों की प्राप्त किसी भी सूचनाओं को गोपनीय रखा जाएगा, जिसमें स्वेच्छा से खुद की पहचान बताने वालों की सुरक्षा करना भी शामिल है।

19.6. IOCHPE-MAXION की हॉटलाइन संचार का एक सुरक्षित माध्यम है और दिन में 24 घंटे, सप्ताह के सातो दिन उपलब्ध है, और इसे निम्न तरीकों द्वारा ऐक्सेस किया जा सकता है:

**हॉटलाइन:**

- इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इस वेबसाइट पृष्ठ पर उपलब्ध है: https://hotline.iochpe.com.br/
- टैलीफोन: +55 11 5508 3817
- ई-मेल: ethics@iochpe.com.br

19.7. हॉटलाइन को IOCHPE-MAXION के अंदरूनी लेखापरीक्षा विभाग द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से प्रबंधित किया जाता है, जो संदिग्ध उल्लंघनों और शिकायतों की सूचनाएं प्राप्त करता है, मामला दर्ज करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करता है और जांच प्रक्रियाओं को समायोजित करता है, जिसे विशेषज्ञ कंपनियों के सहयोग से, आंतरिक या बाहरी रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है।

19.8. स्थिति, संभावित प्रभाव, साक्ष्य या सबूतों की मौजूदगी सहित अन्य कारकों के आधार पर जाँच की समय अवधि और प्रक्रियाएं भिन्न हो सकती हैं; इसलिए, जो व्यक्ति ऊपर बताए गए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या पते के माध्यम से शिकायत करता है उसे उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाले बिना मामले की प्रगति की निगरानी के लिए प्रोटोकॉल नंबर प्राप्त होगा।

19.9. संदिग्ध उल्लंघनों और शिकायतों की सभी सूचनाओं को IOCHPE-MAXION की नैतिकता समिति को समय-समय पर सूचित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अन्य चीजों के साथ उन मामलों में अंदरूनी लेखा परीक्षा विभाग का समर्थन करना है जिसमें संभावित दुर्व्यवहार शामिल है।

19.10. यदि सूचित किया गया मामला कंपनी के अंदरूनी लेखापरीक्षा विभाग के सदस्य से संबंध रखता है, तो शिकायतकर्ता IOCHPE-MAXION की वैधानिक लेखा परीक्षा समिति के समन्वयक को सीधे अपनी सूचना या शिकायत प्रेषित करने का विकल्प चुन सकता है। उसके लिए वह इस ई-मेल पते का प्रयोग कर सकता(ती) है: cae@iochpe.com.br, जो नैतिकता समिति के सहयोग से उचित जाँच को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कार्यवाहियां करने के लिए जिम्मेदार होगा।

19.11. IOCHPE-MAXION गुमनामी, गोपनीयता और प्रतिशोध पर निषेध के नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करेगी क्योंकि यह हॉटलाइन में विश्वास सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है।

## 20. गैर-प्रतिशोध

20.1. IOCHPE-MAXION इस सहिंता, IOCHPE-MAXION के अंदरूनी नियमों या इस कंपनी पर लागू होने वाले कानूनों और अधिनियमों का संभावित रूप से उल्लंघन करने वाली किसी भी गतिविधि या स्थिति की सूचना देने वाले या जाँच में सहयोग देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिशोध कार्यवाहियों या धमकियों को बर्दाश्त नहीं करती है और उन पर प्रतिबंध लगाती है। प्रतिशोध एक उल्लंघन है जिसकी सूचना हॉटलाइन के द्वारा की जा सकती है और की जानी भी चाहिए।

20.2. IOCHPE-MAXION का गैर-प्रतिशोध उपक्रम उस सूचनाकर्ता की सुरक्षा करता है जो जिम्मेदारी के साथ और सद्भाव के साथ कार्यवाही करता(ती) है, फिर चाहे उसकी सूचना या शिकायत बेबुनियाद ही क्यों न साबित हो जाए। इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारी, निदेशक, अधिकारी, आपूर्तिकर्ता और तीसरे पक्ष संदिग्ध उल्लंघनों और शिकायतों की सूचना बिना इस बात के डर से कर सकते हैं कि IOCHPE-MAXION के साथ उनके वर्तमान या संभावित संबंध ऐसी सूचनाओं या शिकायतों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।

20.3. उसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति आचरण के किसी विश्वासपूर्ण उल्लंघन की सूचना देने या ऐसे किसी मामले में सलाह माँगने वाले व्यक्ति को सूचना देने से रोकने या टालने का प्रयास करता है, तो यह अपने आप में ही इस संहिता में प्रदान किए गए अनुशासनिक उपायों के लागू किए जाने का विषय है।

## 21. अनुशासनिक उपाय

21.1. IOCHPE-MAXION आचार संहिता, IOCHPE-MAXION के अंदरूनी नियमों और/या लागू कानूनों और अधिनियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों, निदेशकों, अधिकारियों या आपूर्तिकर्ताओं पर अनुशासनिक उपाय लागू कर सकती है जो परिस्थिति के अनुसार किसी प्रशासनिक, नागरिक और/या आपराधिक दायित्व के लिए पूर्वाग्रह के बिना होंगे। निम्न अनुशासनिक उपाय लागू लागू हो सकते हैं: (i) कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों के मामले में: मौखिक चेतावनियां, लिखित चेतावनियां, निलंबन, उनके पद से पदच्युति और/या निष्कासन, चाहे वो अच्छे के लिए हों; और (ii) आपूर्तिकर्ताओं के मामले में: अनुबंध का उल्लंघन और/या अनुबंध समाप्त करने की अधिसूचनाएं।

21.2. एक बार उचित जांच प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, प्रत्येक विशिष्ट मामले पर लागू अनुशासनिक उपायों का मूल्यांकन और निर्धारण करने का निर्णय कंपनी की नैतिकता समिति का होगी। मंज़ूरियों का इस्तेमाल समानुपाती और निरंतर ढंग से किया जाएगा और निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगा: उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता, शामिल पार्टियों की ज़िम्नेदारी की हद, कंपनी, इसके सदस्यों और संपूर्ण रूप में समाज को होने वाले नुकसान, उल्लंघन करने वाली पार्टी को मिला लाभ, इस संहिता के किसी नियम का कोई पूर्व उल्लंघन और इसकी पुनरावृत्ति, जिसका वर्गीकरण तब किया जाता है जब यह सिद्ध हो चुका हो कि उल्लंघन करने वाले व्यक्ति ने इसी प्रकार का उल्लंघन पहले भी किया है। उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर, यह निर्धारित करने के लिए एक आकलन किया जाएगा कि क्या अधिकारियों या तीसरे पक्षों को सूचित करने का कोई दायित्व है या ऐसा करना उचित है।

21.3. ऐसे किसी भी उल्लंघन या दुर्व्यवहार की बिना किसी झिझक के सूचना देने की पहल जिसमें शिकायतकर्ता स्वयं शामिल हो, उसे प्रोत्साहित किया जाता है और किसी भी अनुशासनिक उपायों को लागू करने को लेकर इसकी पहचान सदोषता को कम करने वाले कारक के रूप में की जा सकती है।

## 22. संदेह

22.1. प्रत्येक देश के और यहाँ तक कि एक ही देश के अलग-अलग क्षेत्रों के कानून, संस्कृति और अभ्यास अलग-अलग होते हैं। चाहे इस संहिता को स्पष्ट और विस्तृत बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें यह स्पष्ट नहीं होगा कि यह संहिता स्वीकार्य है या नहीं। किसी विशेष परिस्थिति के संदर्भ में कोई संदेह होने पर या यदि आपके कोई ऐसे प्रश्न हैं जो इस संहिता या IOCHPE-MAXION के अंदरूनी नियमों के प्रावधानों के साथ संबंधित नहीं है तो अपने प्रबंधक, अपनी यूनिट के मानव संसाधन विभाग, IOCHPE-MAXION के अनुपालन विभाग के साथ संपर्क करें या हॉटलाइन का उपयोग करें। याद रखें कि कोई कदम उठाने से पहले सलाह लेनी हमेशा एक बेहतर विकल्प होता है।

22.2. अनुपालन विभाग कर्मचारियों, निदेशकों और अधिकारियों का अनुपालन प्रबंधन, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रबल बनाने, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करने और संगठन के संचार माध्यमों को मजबूत करने में समर्थन देगा। IOCHPE-MAXION के अनुपालन विभाग को इन विवरणों द्वारा संपर्क किया जा सकता है:

**अनुपालन विभाग:**

- टैलीफोन: +55 11 5508 3821
- ई-मेल: compliance@iochpe.com.br

**23. अनुमोदन और प्रभावशीलता**

23.1. इस सहिंता को 26 सितंबर, 2018 को आयोजित एक बैठक में IOCHPE-MAXION S.A. के निदेशक मंडल द्वारा अपने मूल संस्करण में अनुमोदित किया गया था और यह तब से प्रवृत्त है। इस संहिता में कोई भी परिशोधन या संशोधन पूर्वकथित निदेशक मंडल द्वारा पूर्व विचार-विमर्श और अनुमोदन पर निर्भर करेगा। इस सहिंता को कंपनी की वेबसाइट (www.iochpe.com.br) और CVM की वेबसाइट (www.cvm.gov.br) पर देखा जा सकता है।

* * * * *

**टैम्पलेट**

**रसीद एवं वचनबद्धता की स्वीकृति**

मैं सभी उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के लिए एतद् द्वारा घोषित करता(ती) हूँ कि मैंने Iochpe-Maxion S.A. के आचार संहिता की संपूर्ण प्रत प्राप्त कर ली है, और यह कि मैं इस के प्रावधानों से अवगत हूँ और उनके साथ पूर्णता अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध होता(ती) हूँ।

मुझे मालूम है कि यह संहिता कंपनी की वैबसाइट (www.iochpe.com.br) और CVM की वैबसाइट (www.cvm.gov.br) पर देखने के लिए उपलब्ध है।

अंत में, मैं घोषणा करता(ती) हूँ कि ऐसी किसी परिस्थितियों के मामले में जिसमें मेरे द्वारा आवश्यक या उपेक्षित आचार के संबंध में उपरोक्त संहिता में मेरे पास कोई ज़ाहिर प्रावधान या स्पष्ट संकेत नहीं होगा, तो मैं संहिता में स्थापित ढंग से स्पष्टीकरण की मांग करूंगा(गी)।

नाम: ________________________________

पद: ________________________________

विभाग: __________________________

इकाई: __________________________

स्थान: ________________________________

तिथि: ________________________________

हस्ताक्षर: ____________________________